

नगर परिषद, बालोतरा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BALOTRA/FIRENOC/2024-25/46874
जारी दिनांक: 05-JUN-2025 वैधता दिनांक: 04-JUN-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: ST PAUL SCHOOL BALOTRA
आवेदक का पता: KHASRA NO 586 NEAR SIWANA CIRCLE JASOL ROAD
BALOTRA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन ST. PAUL SCHOOL BALOTRA, KHASRA NO 586, JASOL ROAD, NEAR SIWANA CIRCLE BALOTRA, BALOTRA, BALOTARA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से उपर उल्लेखित अवधि तक मान्य होगा। उक्त तिथि समाप्त होने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अवधि समाप्त होने की तिथि से पूर्व में जारी की गई अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा अवधि समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण नहीं कराये जाने की स्थिति में नियमानुसार पेनल्टी लगाई जायेगी जो आवेदक को नवीनीकरण के समय जमा करानी होगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्वोरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल करवाना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- उक्त भवन/दुकान का आयुक्त/अग्निशमन अधिकारी/अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जायेगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे हुए रखने होंगे तथा पंप व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव संचालन करना अनिवार्य होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टॉवर की उचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के वाद-विवाद हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, बालोतरा